रामपुरा डाबडी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ~~आमेर~~ जिला जयपुर

जी0सी0एम0एस0 नम्बर–2024 / 562
प्रार्थना पत्र संख्या :– 154 / 2024

1. मोहन पुत्र भूरा
2. हनुमान पुत्र भूरा

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सेवापुरा तहसील रामपुरा डावडी जिला जयपुर।

— — — प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव पता जवाहर लाल नेहरू मार्ग रामबाग सर्किल जयपुर।
3. अक्षरधाम कॉलोनईजर एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0 बी–137 साकेत कॉलोनी आदर्श नगर जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि।
4. उर्मिल स्टेटस जरिये पार्टनर गिरिराज खण्डेलवाल पुत्र नाथूलाल खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी बी–65 साकेत कॉलोनी आदर्श नगर जयपुर।

— — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक – 28/04/2025

प्रार्थीगण ने दिनांक 09.092024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत् इस आशय का संक्षेप्त में पेश किया है कि ग्राम सेवापुरा, पटवार हल्का सेवापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में भूमि के हाल ख0नं0 392 रकबा 0.0100 हैक्टे0, ख0नं0 393 / 2 रकबा 1.5400 हैक्टे0, ख0नं0 395 / 3 रकबा 0.1400 हैक्टे0, ख0नं0 399 रकबा 0.4000 हैक्टे0, ख0नं0 400 रकबा 2.4600 हैक्टे0, ख0नं0 456 / 532 रकबा 0.0800 हैक्टे0, ख0नं0 457 रकबा 0.8500 हैक्टे0 ख0नं0 461 / 534 रकबा 0.2400 हैक्टे0 कुल किता 8 रकबा 5.7200 हैक्टे0 के खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है। जिसकी खातेदारी प्रार्थ के नाम दर्ज व अंकित है। जिसके साबिक खसरा नम्बर 306, 309, 310, 314, 315, 317 थे।

राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व अभिलेख में अंकित रकबे के अनुसार नक्शा तरमीम नहीं कर राजस्व अभिलेख के अनुसार वर्तमान मानचित्र को कम कर दिया जो विधि अनुकुल नहीं है। विधि का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि राजस्व अभिलेख अनुसार ही राजस्व नक्शा तरमीम किया जाना आवश्यक है, जिससे मौके पर कोई पेचिदगियां कारित नहीं हो। राजस्व कर्मचारियों द्वारा साबिक नक्शे से जो हाल नक्शा तैयार किया गया है। वह गत के मुकाबले छोटा कर दिया। जबकि मौके पर प्रार्थीगण पूर्व की भांति काबिज काश्त है। उक्त त्रुटि साबिक से हाल नक्शा बनाते समय की गई है जो लिपिकीय त्रुटि के कारण दर्ज की गई है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराने

उपखण्ड अधिकारी
रामपुरा डाबडी (जिला– जयपुर ग्रामीण)

का वैधानिक अधिकार है। राजस्व कर्मचारियों ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर जो हाल नक्शा कायम किया है। वह गलत है। क्योंकि प्रार्थीगण का साबिक नक्शे से हाल नक्शा कायम करते समय प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा छोटा कर दिया, जिसे भविष्य में नपती कराने पर मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया राजस्व ग्राम सेवापुरा, पटवार हल्का सेवापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर के हाल ख0नं0 392 रकबा 0.0100 हैक्टे0, ख0नं0 393/2 रकबा 1.5400 हैक्टे0, ख0नं0 395/3 रकबा 0.1400 हैक्टे0, ख0नं0 399 रकबा 0.4000 हैक्टे0, ख0नं0 400 रकबा 2.4600 हैक्टे0, ख0नं0 456/532 रकबा 0.0800 हैक्टे0, ख0नं0 457 रकबा 0.8500 हैक्टे0 ख0नं0 461/534 रकबा 0.2400 हैक्टे0 कुल किता 8 रकबा 5.7200 हैक्टे0 के हाल नक्शे को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत गत नक्शे अनुसार दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करें। अन्य न्यायोचित आदेश जो माननीय न्यायालय उचित समझे, बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित फरमाया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड डाक जारी की गई। अप्रार्थी सं0 2 जे.डी.ए. की ओर से श्री रामप्रकाश अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 3 की ओर से सुल्तान सिंह अधिवक्ता ने तथा अप्रार्थी सं0 4 की ओर से शिव प्रताप चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जे.डी.ए. अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा जांच रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./25/709 दिनांक 27.02.2025 प्रस्तुत की गई। तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सेवापुरा तहसील रामपुरा डाबडी के हाल ख0नं0 392 रकबा 0.01 है0, 393/2 रकबा 1.51 है0, 395/3 रकबा 0.14 है0, 399 रकबा 0.40 है0, 400 रकबा 2.46 है0, 465/532 रकबा 0.08 है0, 457 रकबा 0.85 है0 व 461/534 रकबा 0.24 है0 कुल किता 8 रकबा 5.72 है की खातेदारी मोहन पुत्र भूरा हि0 1/2 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार व हनुमान पुत्र भूरा हि0 1/2 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ख0नं0 461/534 सम्पूर्ण पर रेफरेंस प्रकरण वन विभाग का प्रस्तुत किया हुआ है। जो विचाराधीन है, नोट अंकित है। प्रार्थीगण क खसरा नम्बरान का क्षेत्रफल वर्तमान नक्शें व पुराने नक्शे में कम/अधिक हुआ है। वर्तमान व गत नक्शें के अनुसार प्रार्थीगण व आसपास के खसरा नम्बरान के क्षेत्रफल की रकबा बरारी करने पर जमाबंदी व नक्शे के अन्तर को पृथक से परिशिष्ट ए व बी में दर्शाया गया है। वर्तमान नक्शे व गत नक्शे में प्रार्थीगण व आसपास के खसरा नम्बरान दर्शाते हुए नक्शे के साथ में संलग्न है व खतौनी बंदोबस्त सं0 2010 से 2023 की प्रति संलग्न है।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर मजमेआम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामपुरा डाबडी को

उपखण्ड अधिकारी
रामपुराडाबडी (जिला– जयपुर ग्रामीण)

उक्त निर्णयानुसार हाल नक्शे को साबिक नक्शे के मुताबिक ख0नं0 392 रकबा 0.0100 हैक्टे0, ख0नं0 393/2 रकबा 1.5400 हैक्टे0, ख0नं0 395/3 रकबा 0.1400 हैक्टे0, ख0नं0 399 रकबा 0.4000 हैक्टे0, ख0नं0 400 रकबा 2.4600 हैक्टे0, ख0नं0 456/532 रकबा 0.0800 हैक्टे0, ख0नं0 457 रकबा 0.8500 हैक्टे0, ख0नं0 461/534 रकबा 0.2400 हैक्टे0 कुल किता 8 रकबा 5.7200 हैक्टे0 में की गई गलत तरमीम को निरस्त कर मूल नक्शा सीट अनुसार तरमीम दुरूस्त करते हुये राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावें (तहसीलदार रिपोर्ट/नक्शा निर्णय का जूज रहेगा)। निर्णय तहसीलदार रामपुरा डाबडी को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 28/04/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामपुरा डाबडी (जयपुर)